<u>न्यायालयः—शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजङ्</u> <u>जिला—बडवानी (म०प्र0)</u>

<u>आप0प्र0 कमांक 77/2016</u> संस्थित दिनांक 08.02.2016

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द ठीकरी, जिला—बड़वानी म0प्र0

----अभियोगी

विरुद्ध

- संतोष पिता प्रेमलाल कुमावत, आयु 38 वर्ष,
 निवासी चिचली थाना ठीकरी,जिला बडवानी म0प्र0।
- गणेश पिता सुखिया उर्फ सुखलाल मानकर, आयु 38 वर्ष,
 निवासी चिचली थाना ठीकरी,जिला बडवानी म0प्र0।
- राजु उर्फ राजेन्द्र पिता मकुन्द कुमावत, आयु 42 वर्ष,
 निवासी चिचली थाना ठीकरी,जिला बडवानी म0प्र0।
- सुरेश उर्फ पवन पिता प्रेमलाल कुमावत, आयु 39 वर्ष,
 निवासी चिचली थाना ठीकरी,जिला बडवानी म0प्र0।

	अभियुक्तगण
राज्य तर्फे एडीपीओ अभियुक्तगण तर्फे अभिभाषक	— श्री अकरम मंसूरी । — श्री बी.के.सत्संगी ।

/ <u>/ निर्णय</u> / /

(आज दिनांक 16.03.2018 को घोषित)

अभियुक्तगण पर धारा 294,323,506 भाग—2 भा.द.सं. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि,उन्होंने दिनांक 26.01.2016 को समय 10:30 बजे,स्थान—ग्राम चिचली में फरियादी बिहारीलाल को मां बहन की अश्लील गालिया दी, फरियादी को लात घुसों से मारपीट कर उपहित कारित की व जान से मारने की धमकी दी।

//2// <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 77/2016</u> संस्थित दिनांक 08.02.2016

- अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि,दिनांक 26.01.2016 को समय 10:30 बजे,स्थान-ग्राम चिचली में ग्रामसभा का आयोजन रखा गया था.जिसमें शामिल होने के लिये वह अपने लड़के निलेश के साथ मोटरसाईकिल पर बैठकर जा रहा था। वह पंचायत भवन के सामने पहुंचकर मोटरसाईकिल खडी कर रहे थे.तभी गांव का संतोष गणेश मानकर उसके पास आये तथा उसे मादर चोद बहन चोद की अश्लील गालियां देकर पीछे से पकडकर लात घुसों से मारपीट कर नीचे पटक दिया तभी राजू उर्फ राजेन्द्र व स्रेश भी आये और दोनों ने भी उसके साथ लात घुसों से मारपीट की जिससे उसके नाक, दाहिने हाथ के पंजे,पीठ व सीने पर चोंट आई। घटना उसके लडके निलेश,विनोद व रतन ने देखी व बीच बचाव किया। पुर्नवास बसावट में उचित मूल्य की दुकान भवन का निर्माण आर.ई.एस. विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिस पर उसने आपितत ली जाकर शिकायत पंचायत में की गई है। इस रंजिश को लेकर अभियुक्तगण ने उसके साथ मारपीट की और बोल रहे थे कि,तुने अब फिर शिकायत की तो किसी दिन जान से खत्म कर देगें। उक्त मौखिक रिपोर्ट के आधार पर ठीकरी में अपराध कं0 29 / 2016 का दर्ज कर साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये है, आहत्गण का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण का गिरफतारी पत्रक तैयार किया गया, तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
- 3. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्रीमती वंदना राज पाण्डेय्, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 294,323,506 भाग—2 भा0द0सं0 के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं0प्र0सं0 के परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होकर झूटा फसाया जाना व्यक्त किया है, किन्तु बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है किः –

- क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 26.01.2016 समय 10:30 बजे, स्थान ग्राम चिचली में फरियादी बिहारीलाल को लोक स्थान पर मॉ बहन की अश्लील गॉलियां देकर उसे व अन्य व्यक्तियों को क्षोभ करत किया?
- 2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक,समय व स्थान पर फरियादी बिहारीलाल को सख्त एवं बोथरी वस्तु लात—घुसों से मारपीट कर उसे स्वैच्छया उपहति कारित की?
- 3. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी बिहारीलाल को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

//3// <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 77/2016</u> संस्थित दिनांक 08.02.2016

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

/ /विचारणीय प्रश्न कं0 2 / /

- 5. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में बिहारीलाल (अ.सा.1), निलेश (अ.सा.2), विनोद (अ.सा.3), रतन (अ.सा.4), डॉ० आर.एस. मुजाल्दा (अ.सा.5),आर.के. वाजपेयी (अ.सा.6), के कथन कराये गये हैं जबिक अभियुक्तगण की ओर उनकी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।
- 6. सर्वप्रथम यह विचार किया जाना है कि, क्या घटना दिनांक को फरियादी बिहारीलाल (अ.सा.1) को चोटे कारित हुई। इस संबंध में विचार करने पर फरियादी बिहारीलाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि,उसे अभियुक्त संतोष ने चेहरे पर घुसों से मारा था,जिस कारण उसे नाक पर चोट आयी थी,व अभियुक्त राजेश व सुरेश ने पीठ,छाती एवं हाथ की कलाई पर चोटे पहुंचायी थी।
- साक्षी डाॅं० आर.एस. मुजाल्दा (अ.सा.५) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त 7. किया है कि, पुलिस थाना ठीकरी से आरक्षक कं0 260 सूरजिसेंह आहत् बिहारीलाल पिता नंदराम निवासी चिचली को लेकर चिकित्सकीय परीक्षण हेत् लेकर आया था। उक्त साक्षी द्वारा आहत् का परीक्षण करने पर उसके शरीर पर चोटे पायी थी। जिसमें नाक पर कटा-फटा घाव आधा x आधा इंच जो चमडी की गहरायी तक था,दाहिने हाथ पर रगड आधा x आधा इंच तथा आहत् अपने सीने में दर्द की शिकायत बता रहा था, किन्तु कोई बाहरी चोट दिखायी नहीं दे रही थी। उक्त सभी चोटे सख्त एवं बोथरी वस्तू से आना प्रतीत होती थी, तथा उक्त चोटे साक्षी के द्वारा परीक्षण किये जाने के 6 घंटे के भीतर की होकर सामान्य प्रकृति की थी। नाक पर कटा-फटा घाव जो चमडी की गहरायी तक था कि, प्रकृति जानने हेत् एक्सरे की सलाह दी गयी थी। इस संबंध में उक्त साक्षी के द्वारा दी गयी परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 3 है,जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। पुलिस थाना ठीकरी से उक्त साक्षी के पास आहत् बिहारीलाल की एक्सरे प्लेट उसके परीक्षण हेतू भेजी गयी थी। एक्सरे प्लेट के परीक्षण पर आहत् बिहारीलाल के सिर एवं दाहिने हाथ की हड्डी में कोई भी अस्थिमंग नहीं पाया था। उसके द्वारा दी गयी एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी0 4 है,जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 8. डॉ० आर.एस. मुजाल्दा (अ.सा.5) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि, आहत् को तीन चोटे थी,किन्तु दो चोटे

//4// <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 77/2016</u> संस्थित दिनांक 08.02.2016

दिखायी दे रही थी तथा सीने की चोट दिखायी नहीं दे रही थी। इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि, फरियादी/आहत् को नाक पर कटा—फटा घाव जो चिकित्सकीय परीक्षण में पाया गया था। वैसी चोट गिरने से भी आ सकती है,व स्वतः कहा कि, मारने पीटने से भी वैसी चोट आ सकती है। यह भी स्वीकार किया है कि,चोटे साधारण प्रकृति की थी।

- 9. फरियादी बिहारीलाल (अ.सा.1) के चोटों से संबंधित कथनों का समर्थन चिकित्सक साक्षी डाँ० आर.एस. मुजाल्दा (अ.सा.5) के कथनों से होता है। घटना के चक्षुदर्शी साक्षी निलेश (अ.सा.2) व विनोद (अ.सा.3) ने भी फरियादी बिहारीलाल (अ.सा. 1) के चोटों के संबंध में किये गये कथनों का समर्थन किया है। घटना के तत्काल पश्चात् लिखायी गयी प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र0पी० 1 में भी चोटों का उल्लेख है। बचाव पक्ष के द्वारा चोटों के संबंध में कोई चुनौती नहीं दी है। अतः यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि, घटना दिनांक को आहत् बिहारीलाल (अ.सा.1) को नाक पर व दाहिने हाथ पर सख्त एवं बोथरी वस्तु से चोटे आयी थी,जो सामान्य स्वरूप की थी।
- अब यह विचार किया जाना है कि,उक्त चोटे अभियुक्तगण के द्वारा आहत् बिहारीलाल (अ.सा.1) को कारित करने हेतु सामान्य आशय बनाया और सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी / आहत् बिहारीलाल (अ.सा.1) को साधारण स्वरूप की चोटे पहुंचाई। इस संबंध में विचार करने पर आहत् बिहारीलाल (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि, वह अभियुक्तगण को जानता है। घटना दिनांक 26.01.2016 की है। घटना के दिन वह ग्राम पंचायत चिचली में आयोजित ग्रामसभा में शामिल होने के लिये अपने बेटे निलेश के साथ मोटरसाईकिल से सुबह लगभग 10:00 बजे जा रहा था। मोटरसाईकिल साक्षी का पुत्र निलेश चला रहा था। पंचायत भवन के पास पहुंचे थे, व मोटरसाईकिल खडी की थी कि, अभियुक्तगण संतोष एवं गणेश आये जिन्होंने साक्षी को पीछे से पकड लिया तथा गालिया दी। अभियुक्त संतोष ने उसे चेहरे पर घुसों से मारा जो उसके नाक पर लगा था। इसके बाद आरोपी राज् एवं सुरेश उर्फ पवन आये थे। उन्होंने भी गालिया दी थी। जब साक्षी जमीन पर गिरा हुआ था,तब उक्त दोनो अभियुक्तगण ने लात घुसों से मारा था। जिससे उसकी पीठ,छाती एवं हाथ की कलाई पर चोटे आयी थी। बीच बचाव रतन,विनोद एवं उसके पुत्र निलेश ने किया था। विवाद का कारण यह बताया है कि, अभियुक्तगण उचित मूल्य की दुकान का निर्माण उसके मकान के सामने करना चाहते थे। जिसकी शिकायत फरियादी के द्वारा जिला मुख्यालय के उच्च अधिकारी एवं किमश्नर में की गयी थी,और इसी बात पर वह मेरे से नाराज थे।
- 11. फरियादी के द्वारा प्र0सू० प्रतिवेदन प्र0पी० 1 थाना ठीकरी में की गयी । फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण भी पुलिस ने करवाया था,एवं फरियादी ने घटना

//5// <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 77/2016</u> संस्थित दिनांक 08.02.2016

स्थल भी पुलिस को बताया था। जिसका नक्शामौका प्र0पी0 2 है,जो कि, पुलिस द्वारा तैयार किया गया था।

- 12. घटना के चक्षुदर्शी साक्षी निलेश(अ.सा.2) जो कि, फरियादी बिहारीलाल (अ.सा.1) का पुत्र है। साक्षी निलेश(अ.सा.2) ने भी फरियादी के कथनों का समर्थन किया है। इसी प्रकार चक्षुदर्शी साक्षी विनोद(अ.सा.3) ने भी फरियादी बिहारीलाल के कथनों का समर्थन किया है। यद्धिप चक्षुदर्शी साक्षी रतन (अ.सा.4) ने घटना का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है।
- 13. फरियादी बिहारीलाल(अ.सा.1) से बचाव पक्ष द्वारा किये गये विस्तृत प्रतिपरीक्षण में इस बात से इंकार किया है कि, उसने 06 जनवरी को अभियुक्त गणेश व उसकी मां को रोककर मारपीट की थी,और शेष अभियुक्तगण ने गणेश और उसकी मां को बचाया था। जिसकी रिपोर्ट भी थाने में की गयी थी। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि, उस रिपोर्ट से बचने के लिये अभियुक्तगण के विरुद्ध असत्य रिपोर्ट लेखबद्ध करवायी थी। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि, चोटे खंय कारित की गयी है।
- 14. साक्षी निलेश (अ.सा.2) व विनोद (अ.सा.3) के विस्तृत प्रतिपरीक्षण में भी घटना का खंडन नहीं होता है, एवं उक्त दोनो साक्षियों ने भी फरियादी बिहारीलाल (अ.सा.1) के कथनों का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है। बिहारीलाल (अ.सा.1) द्वारा घ ाटना के तत्काल पश्चात् लिखायी गयी रिपोर्ट प्र0पी0 1 है, जिसे उप निरीक्षक आर.के. वाजपेयी (अ.सा.6) ने प्रमाणित किया है कि, जिससे सम्पूष्टि होती है। चक्षुदर्शी साक्षी एवं चिकित्सकीय साक्षी से भी घटना का स्पष्ट रूप से समर्थन होता है।
- 15. अभियुक्तगण की घटना के समय उपस्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं है, और न ही अभियुक्तगण को असत्य रूप से आलिप्त किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के द्वारा बिहारीलाल (अ.सा.1) के साथ मारपीट किये जाने के संबंध में प्रचुर साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है।

/ / विचारणीय प्रश्न कं0 1 / /

16. जहां तक अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी बिहारीलाल (अ.सा.1) को अश्लील गालिया दिये जाने का प्रश्न है। इस संबंध में बिहारीलाल (अ.सा.1) व चक्षुदर्शी साक्षी निलेश (अ.सा.2) ने अभियुक्तगण के द्वारा गालिया दिये जाने बाबत् कथन किये है, किन्तु साक्षी विनोद (अ.सा.3) ने इस बाबत् समर्थन नहीं किया है।

//6// <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 77/2016</u> संस्थित दिनांक 08.02.2016

साक्षी बिहारीलाल (अ.सा.1) एवं विनोद (अ.सा.3) के कथनों का समग्र परिशीलन किये जाने पर साक्षीगण ने कौन से अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है, एवं वे शब्द अश्लीलता की श्रेणी में आते है,इस बाबत् कोई कथन नहीं किये है,मात्र मां बहन की गाली दिये जाने के आधार पर धारा 294 भा.द.सं का अपराध घटित नहीं होता है। अभियोजन को यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि, बोले गये शब्द अश्लीलता की श्रेणी में आते है और जिससे सुनने वालो को क्षोभ कारित हो।

//विचारणीय प्रश्न कं0 3 //

- 17. जहां तक अपराधिक अभित्रास का प्रश्न है। साक्षी बिहारीलाल (अ.सा.1) ने अपने कथन में बताया है कि,अभियुक्तगण ने बोला कि, हमारी शिकायत की तो जान से मार डालेगें। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि,अभियुक्तगण उसके खेत पड़ोसी है। साक्षी ने यह भी बताया है कि,उसे अभियुक्तगण से भय है, एवं खिलयान एवं पुर्नवास बसाहट में जाने से डर लगता है। घटना दिनांक 26.01.2016 के बाद से अभियुक्तगण ने कोई घटना घटित की हो इस संबंध में कोई कथन नहीं किये है, अपितु फरियादी बिहारीलाल (अ.सा.1) के द्वारा तत्काल रिपोर्ट लिखायी गयी है। अतः अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक अभित्रास कारित किये जाने के संबंध में कोई तात्विक साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है।
- 18. उपरोक्त समस्त साक्ष्य के विवेचना के आधार पर अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि, अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 26.01.2016 समय 10:30 बजे, स्थान ग्राम चिचली में फरियादी बिहारीलाल को लोक स्थान पर मॉ बहन की अश्लील गॉलियां देकर उसे व अन्य व्यक्तियों को क्षोभ करित किया, एवं फरियादी बिहारीलाल को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया, परन्तु अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि, अभियुक्तगण ने बिहारीलाल को उपहित कारित करने का सामान्य आशय बनाया और सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी/आहत् बिहारीलाल के साथ मारपीट कर स्वैच्छया उपहित कारित की।
- 19. अतः न्यायालय अभियुक्तगण को धारा 294 एवं 506 भाग—2 भा.द.सं. के संबंध में दोषमुक्त किया जाता है,परन्तु धारा 323 भा.द.सं. के संबंध में दोषसिद्ध पाया जाता है। यद्वपि धारा 34 भा.द.सं. के साथ आरोप नहीं है, किन्तु धारा 34 प्रथक अपराध का सजृन नहीं करती है। अतः धारा 34 भा.द.सं. का आरोप विरचित न होने पर भी अभियुक्तगण को सामान्य आशय के अनुसरण के अंतर्गत धारा 323/34 भा.द. सं. के अपराध में दोषसिद्ध व दंडित किया जा सकता है।

//7// <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 77/2016</u> संस्थित दिनांक 08.02.2016

20. दोषसिद्ध अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये। अभियुक्तगण का परिविक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थिगत किया जाता है।

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्ट्रे,प्रथम श्रेणी, अंजड़,जिला बडवानी म.प्र.

पुनश्च:-

21. अभियुक्तगण को दंड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण की ओर से प्रथम अपराध को दृष्टिगत रखते हुये। कम से कम दंड दिये जाने का निवेदन किया। अभियोजन की ओर से अधिक से अधिक दंड दिये जाने का निवेदन किया गया है। फरियादी एवं अभियुक्तगण एक ही गांव के निवासी है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। कारावास के स्थान पर अर्थदंड की सजा से भी न्याय के उद्देश्य की पूर्ति संभव है। प्रकरण के तथ्य से आहत् को आयी हुयी चोटे एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये। अभियुक्तगण को निम्नानुसार अर्थदंड से दिण्डत किया जाता है:—

क्रमांक	अभियुक्तगण के नाम	धारा	अर्थदंड की राशि	अर्थदंड के व्यतिक्रम में
				सश्रम
1.	संतोष पिता प्रेमलाल	323 / 34	1000 / —	10 दिवस
2.	गणेश पिता सुरसिंह	323 / 34	1000/-	10 दिवस
3.	सुरेश पिता प्रेमलाल	323 / 34	1000/-	10 दिवस
4.	राजु पिता मुकुदं	323 / 34	1000/-	10 दिवस

- 22. अभियुक्तगण के द्वारा अर्थदंड राशि जमा किये जाने पर फरियादी/आहत् बिहारीलाल को कुल जमा अर्थदंड राशि में से 1000/— रूपये प्रतिकर स्वरूप आपिल अवधि अवसान उपरांत प्रदान किया जावे। आपिल की दशा में माननीय आपिलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।
- 23. अभियुक्तगण के जांच अथवा विचारण के दौरान निरोध में नहीं रहे है। इस संबंध में अभिरक्षा में रहने के संबंध में धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये ।

//8// <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 77/2016</u> संस्थित<u>दिनांक 08.02.2016</u>

24. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते है, जप्त सम्पत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

सही/-

सही/-

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्ट्रे,प्रथम श्रेणी, अंजड़,जिला बडवानी म.प्र.

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्ट्रे,प्रथम श्रेणी, अंजड़,जिला बडवानी म.प्र.